न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 136/2023 — निर्णय दिनांक 02.05.2024

ऑनलाईन नम्बर 2023/266

जेठाराम पुत्र हरदास जाति जाट निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ ।
2. रामीदेवी पत्नि जेठाराम जाति जाट निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956।</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1763/780 तादादी 3.6900 हैक्टेयर रोही बिग्गा में स्थित है जिसका अलग से राजस्व नक्शा बना हुआ है। उक्त राजस्व नक्शा अनुसार प्रार्थी के खेत का 0.7000 हैक्टेयर रकबा दबा हुआ है प्रार्थी का खेत राजस्व नक्शानुसार नहीं है। उक्त दबी हुई भूमि की पत्थरगढ़ी करवाकर नयी सीमा मौके पर राजस्व नक्शे के अनुसार कायम की जानी है जिससे प्रार्थी की भूमि की सीमाएं राजस्व नक्शे के अनुसार कायम की जा सके। प्रार्थी द्वारा के खेत का सीमाज्ञान करवाने के बाद भी आज तक नयी सीमा सीमाज्ञान के अनुसार कायम नहीं की है प्रार्थी अपने खेत की राजस्व रिकार्ड के अनुसार सीमाएं कायम करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के खेत की भूमि दबी हुई होने से आगे बरसात का मौसम शुरू होने से पूर्व नई सीमा कायम करवाई जानी अत्यन्त आवश्यक है इसलिए आज ही तहसीलदार को सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की भूमि रोही बिग्गा में अवस्थित है जो श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत गत खसरा नम्बर 1763/780 तादादी 3.6900 हैक्टेयर रोही बिग्गा का राजस्व नक्शा के आधार पर पत्थरगढ़ी करने का आदेश जारी करने की कृपा करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से पैरोकारराज उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 1763/780 तादादी 3.6900(गै.मु. रास्ता 0.06 है. तथा बारानी 3.63 है.) रोही बिग्गा के सीमाचिन्ह जो नक्शे में मौजदू ,है उनके आधार पर अथवा मौके के अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000/—रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिश्नर प्रार्थी द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थी से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी [illegible]

आदेश आज दिनांक 02.05.2024 को मेरे द्वा[illegible]या जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजि[illegible]तर हो।

आदेश स[illegible]या।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:30:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)